शोध प्रतिवेदन

"बी.एड. व बी.एस.टी.सी प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन"

निर्देशिका
श्रीमती राजू पंसारी
(व्याख्याता)

प्रस्तुतकर्त्री
रेखा सोलंकी
(एम.एड. छात्रा)

बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर(राजस्थान)

(सत्र 2015-17)

1. सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि :–

मानव जाति को अपनी प्रतिभा एवं गरिमा को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु प्रकृति द्वारा कुछ सुविधायें एवं साधन उपलब्ध है। जब इन साधनों एवं सुविधाओं को राज्य, समाज एवं समस्त मानव जाति से भी मान्यता प्राप्त हो जाता है तो ये अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

लास्की ने कहा भी है, "अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। किन्तु जब हम मानव अधिकारों की बात करते है तो यह अवधारणा और व्यापक बन जाती है।"

इस व्यापक अर्थ में "मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने व व्यक्तित्व के संतुलित विकास एवं निर्माण हेतु अनिवार्य है।"

अतः इसमें प्राकृतिक उपहार हवा पानी ही नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक जीने, अपने पोषण एवं रक्षण के वे सभी उपागम जो व्यक्तित्व विकास हेतु अनिवार्य है

सम्मिलित है यथा चिकित्सा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान आदि। इस प्रकार मानव अधिकार वे परिस्थितियां हैं जो एक मानव को अनिवार्य रूप से जीवन जीने हेतु अति आवश्यक है।

मानव अधिकार राज्य, सरकार या संविधान द्वारा प्रदत्त कोई निःशुल्क उपहार भेंट या तोहफा भी नहीं है। वस्तुतः मानवाधिकार का संबंध मात्र मानवीय पक्ष की संवेदना, सहयोग, वैचारिक आदान–प्रदान पर आधारित उस सभ्य, सुसंस्कृत समाज के विकास से होता है जिसके मूल में मानव गरिमा, न्याय निष्पक्षता एवं शोषण रहित सामाजिक न्याय निहित हो। इस प्रकार मानवाधिकारों में वे सभी अधिकार सम्मिलित किये जाते है जो व्यक्ति को उसमें निहित मूल प्रवृतियों के पूर्ण विकास हेतु आवश्यक है।

वैसे तो 1215 ई. के ब्रिटिश मेग्नाकार्टा एवं पिटिशन ऑफ राइट्स से ही संसद में मानव अधिकारों का आरम्भ हो गया था। 1776 ई. के अमेरिकन स्वतंत्रता घोषणा पत्र एवं 1789 ई. की फ्रांसिसी स्वतंत्रता घोषणा पत्रों से मानवाधिकारों को प्रति स्थापित करने में और सहायता मिली किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् 1920 ई. में लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना के बावजूद पृथ्वी पर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया और मानवाधिकारों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना की गई। जातीय जुल्म की इंतहा हो गई जिन्हें देखकर सम्पूर्ण मानवता सिहर गई। अकेले जर्मन तानाशाह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या की, 10 लाख यहूदी को गैस चैम्बर में जलाकर राख कर दिया। यही नहीं सैनिकों के शव क्षत–विशत कर गड्डों में फेंक दिये जिससे वे पहचाने न जा सके।

दूसरों ओर अमेरिका ने भी जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर बम गिराकर प्राणी जीवन एवं धन सम्पदा सहित 2 लाख से अधिक लोगों को कुछ ही मिनट में राख के ढ़ेर में बदल दिया।

ऐसी भयावह स्थिति में विशेष शान्ति प्रयासों को आवश्यकता थी एवं विश्व के देशों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा कि–"जाति हत्या जैसे जधन्य अपराध में कोई व्यक्ति यह कहकर बच नहीं सकता था उसने राज्य की आज्ञा के पालन में यह कृत्य किया है, ऐसे कार्य मानव अधिकारों की सरासर उल्लंघन माने जायेंगे।" और अंततः 24 अक्टूम्बर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था

अस्तित्व में आई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने इस पवित्र उद्धेश्य की रक्षा करने हेतु अर्थात् मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने एक संगठन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को यह दायित्व सौंपा कि–"मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक ठोस कदम उठाये"

मानवाधिकारों की विश्व घोषणा कोई संधि, कानून, समझौता या बंधनकारी वैधानिक दस्तावेज नहीं है बल्कि संकल्प और सिद्धान्त की घोषणा थी तथापित उसने कई देशों के संविधानों और वैधानिक प्रणालियों को अवश्य प्रभावित किया।

उक्त संस्था द्वारा तैयार प्रारूप पर 137 देशों ने हस्ताक्षर किये जिसे 10 दिसम्बर, 1948 को लागू किया गया। इसलिये इस दिन को ही मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मानवाधिकार चार्टर में मानवाधिकारों की विश्व घोषणा की गई। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जिसकी आरम्भ की ही धारा एक में कहा गया है सभी मानव जन्म से ही स्वतंत्र गरिमा तथा अधिकारों में बराबर है। उनमें विचार शक्ति और अन्तश्चेतना होती है तथा एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ काम करना चाहिए।

सन् 1989 में एक करार कर पहली बार बच्चों को भी मानव की भांति अधिकार दिये गये एवं उनकी बुनियादी जरूरतें पोषण, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा स्वीकार किये गये सन् 1995 में महिलाओं के अधिकार भी सम्मिलित किये गये। अब महिलाएँ राज्यीय, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप में भाग ले सकती है।

वास्तव में आरम्भ से लेकर आज तक मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेपन में किया जा रहा है और ये मात्र खोखली औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है क्योंकि इसमें अनेको कानूनी व्यवधान एवं अड़चने आती हैं उल्लंघन का मामला किसके कानूनी दायरे में आता है ? मानवाधिकार संगठनों के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं वाद–विवाद होने के कारण उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने मानवाधिकार की स्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्षेत्रों का जिक्र किया है कि वहाँ बार–बार मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है एवं सरकारी तंत्र इन्हें रोकने में पूर्णतः विफल रहा है और यह उल्लंघन अब सार्वभौमिक बन गया है।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जातिय भेदभाव एवं अन्य प्रकार की यातनाओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु 43 सदस्यीय मानव अधिकार आयोग तथा अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने और भेदभाव समाप्त करने हेतु 20 सदस्यीय विशेषज्ञों का एक उप आयोग बनाया है। इसके अतिरिक्त भी संघ के अनेक अभिकरण भी इस क्षेत्र में कार्यरत है।

समस्या कथन :–

"बी.एड. व बी.एस.टी.सी प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन"

शोध अध्ययन के उद्देश्य :–

शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार से है –

1. बी. एड. व बी. एस. टी. सी के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. बी. एड. व बी. एस. टी. सी के महिला प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. बी. एड. व बी. एस. टी. सी के पुरूष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. बी. एड. के महिला व पुरूष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. बी. एस. टी. सी के महिला व पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त परिकल्पनाएँ :–

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्न प्रकार से है –

1. बी. एड. व बी. एस. टी. सी के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही पाया गया।
2. बी. एड. व बी. एस. टी. सी के महिला प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही पाया गया।

3. बी. एड. व बी. एस. टी. सी के पुरूष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही पाया गया।
4. बी. एड. के महिला व पुरूष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही पाया गया।
5. बी. एस. टी. सी के महिला व पुरूष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही पाया गया।

शोध अध्ययन का महत्व :

मानवाधिकार शिक्षा से अभिप्राय अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव हकदार है। मानव को मानव होने के नाते कई अधिकार दिये गये है। मानवाधिकार शिक्षा की जानकारी वर्तमान समय में सभी के लिए आवश्यक हैं प्रस्तुत शोध अध्ययन से हमें प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा को अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्ता के प्रति अभिवृत्ति जानने का अवसर मिलेगा। बी.एड़ व बी.एस.टी.सी. के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति यह पता लगाना है कि प्रशिक्षणार्थी मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पता लगाना है कि मानवाधिकार के प्रति प्रशिक्षणार्थी कितने जागरूक है। क्योंकि यहीं प्रशिक्षणार्थी समाज की नीवं रखेंगे। प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वारा मानवाधिकार शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। जिससे ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पायेंगे। प्रशिक्षणार्थी मानवाधिकार शिक्षा में आने वाली समस्याओं से छात्रों को अवगत करा सकेंगे। जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास अपेक्षित होंगे।

तकनीकी शब्दों की व्याख्या :–

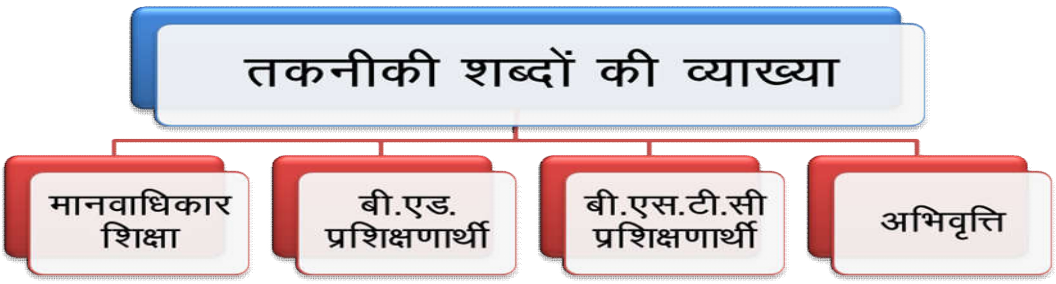

1. **मानवाधिकार शिक्षा :–** शिक्षा मानवाधिकारों का ज्ञान, समझ, जागरूकता एवं कौशल का विकास करना है। दुसरे शब्दों में "मानवाधिकार शिक्षा का मूल मंत्र मानवीय शिक्षा का आदर करना, मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना साथ ही मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना है।"
2. **बी.एड. प्रशिक्षणार्थी** :– उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए बी.एड. कोर्स चलाया गया है। बी.एड. पाठ्यक्रम एक वर्षीय होता है तथा इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्राध्यापक व छात्राओं को छात्राध्यापिका कहा जाता है।
3. **बी.एस.टी.सी प्रशिक्षणार्थी** :– प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए बी.एस.टी.सी. कोर्स चलाया गया है। बी.एस.टी.सी पाठ्यक्रम दो वर्षीय होता है तथा इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्राध्यापक व छात्राओं को छात्राध्यापिका कहा जाता है।
4. **अभिवृत्ति :–** किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु या पदार्थ से सम्बन्धित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभावों की मात्रा ही अभिवृत्ति है।''

(थर्स्टन के अनुसार)

शोध अध्ययन की अनुसंधान विधि :–

शोधकर्त्री द्वारा शोध अध्ययन हेतु शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की जायेगी।

शोध अध्ययन के चर :–

शोधकर्त्री द्वारा शोध अध्ययन में अग्रलिखित स्वतंत्र व आश्रित चर प्रयुक्त किए गएं।

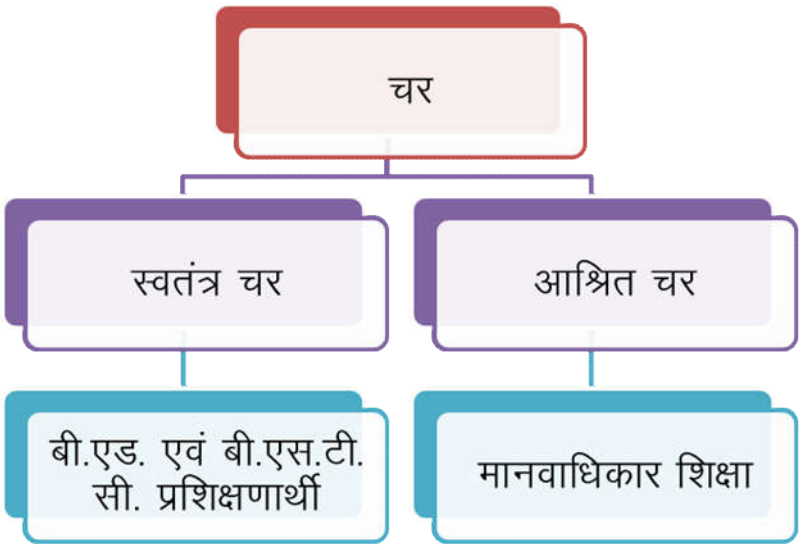

1.10 प्रदत्तों के स्त्रोत :–

1. **प्राथमिक स्त्रोत :–** बी.एड. एवं बी.एस.टी. सी. प्रशिक्षणार्थी
2. **प्रदत्तों के स्त्रोत :–** शोधकर्त्री द्वारा शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रदत्तों के स्त्रोतों के रूप में प्राथमिक स्त्रोतों व द्वितीयक स्त्रोत को प्रयुक्त किया जायेगा।
3. **द्वितीयक स्त्रोत** :– संदर्भ पुस्तके, पत्र–पत्रिकायें.

शोध अध्ययन की प्रकृति :–

प्रयुक्त शोध अध्ययन में शोध की प्रकृति मात्रात्मक होगी।

शोध अध्ययन की परिसीमा :–

1. शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त शोध अध्ययन में बी. एड. एवं बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षणार्थी को केवल मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का ही अध्ययन किया गया है।
2. शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त शोध अध्ययन जयपुर शहर तक ही सीमित रखा गया है।
3. शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त शोध अध्ययन जिले के 2 बी.एड एवं 2 बी.एस.टी.सी शिक्षा महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है।

4. शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि को ही अपनाया गया है।

शोध अध्ययन की जनसंख्या :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु जयपुर क्षेत्र के शिक्षा महाविद्यालयों के बी.एड. एवं बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षणार्थी हैं।

1.14 न्यादर्शः–

शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में 2 शिक्षा महाविद्यालयों शिक्षा महाविद्यालयों के 50 बी.एड. एवं 50 बी.एस.टी.सी.के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

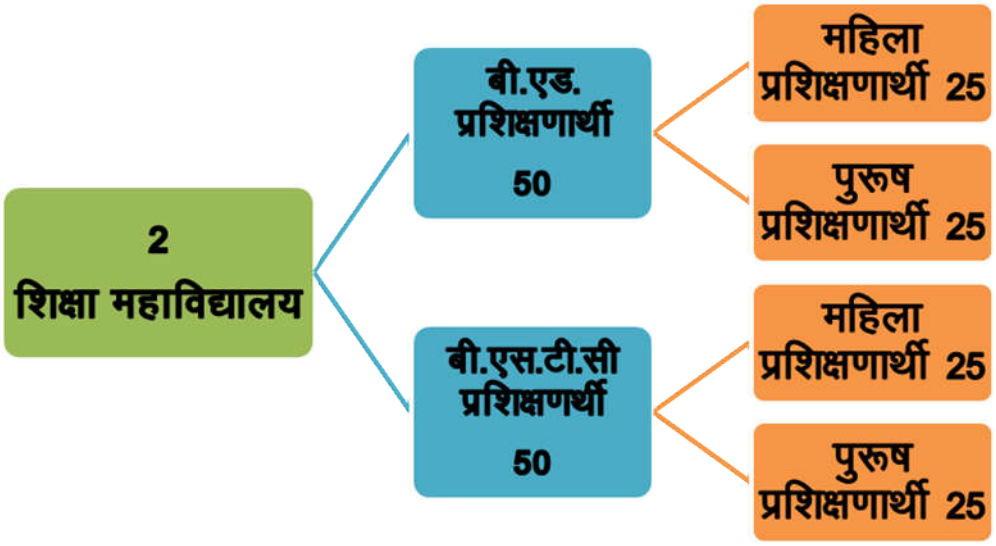

शोध अध्ययन के उपकरण :–

शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त शोध अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटायें गये तथ्यों का एकीकरण सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण करना है।

(डब्ल्यूजी सराक्लिफ)

प्रदत्तों का सारणीयन करने के लिए गणितीय सुत्रों की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्रदत्तों की विवेचन करती है। ये

प्रदत्त गणना एवं मापन से प्राप्त किय जाते है। प्रस्तुत अध्ययन में निम्न सांख्यिकी संदर्भों का प्रयोग किया गया है।

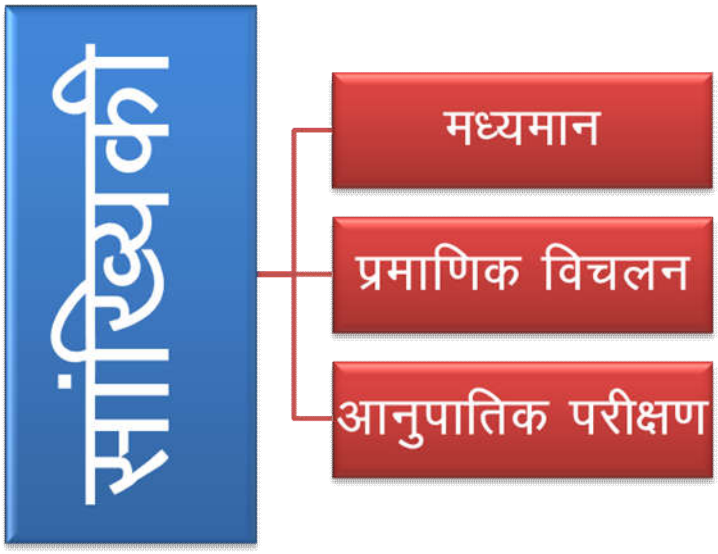

प्रस्तुत शोध के शैक्षिक निहितार्थः–

प्रस्तुत अध्ययन एम.एड. की अल्पावधि में किया गया एक लघु प्रयास हैं अतः जब शोध के आँकड़ों की व्याख्या का विश्लेषण किया गया तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये है। उनके आधार पर शोधकर्त्री ने अपने शोध के परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझाव एवं शैक्षिक निहितार्थ प्रस्तुत किये है जो निम्नलिखित हैः–

1. शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को मानवाधिकारों की जानकारी समय–समय पर देनी चाहिए।
2. शिक्षकों को जाति, धर्म के आधार पर छात्रों से भेदभाव नहीं करना चाहिए।
3. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करें।
4. मानवाधिकारों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता विकसित करें।
5. प्रत्येक देश के पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों की शिक्षा की वकालत करे।
6. कानून निर्माण के समय मानवाधिकारों को स्थान दिलाने का प्रयत्न कर सकते हैं।
7. जाति व धर्म के आधार पर अपने साथियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए।
8. मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बने।
9. मानवाधिकारों के प्रचार–प्रसार के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए।

10. मानवाधिकारों की जानकारी समय–समय पर अपने शिक्षकों से प्राप्त करते रहना चाहिये।

11. मानवाधिकारों की जानकारी विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त करते रहना चाहिए।

12. अपनें अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए तथा संघर्ष भी करना चाहिए।

शोद्यार्थी के शोधानुभव द्वारा भावी शोध हेतु सुझाव

प्रस्तुत अध्याय एम.एड. की अल्प अवधि में किया गया है एक लघु प्रयास है। प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि संबंधित अध्ययन पर अन्य अध्ययन किये जाये। शोधकर्त्री ने सीमित तत्वों को लेकर अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व है, जिन पर शोधकार्य किया जा सकता है। अतः शोधकर्त्री अपना कर्तव्य समझती है कि अनुसंधान के लिए सुझावों से अवगत कराएं। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् शोधकर्त्री ने भावी अनुसंधान के लिए सुझाव दिये है जो निम्न है–

1. भावी शोध कार्य को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की छात्र–छात्राओं पर भी किया जा सकता है।

2. भावी शोध विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर की छात्र–छात्राओं पर किया जा सकता है।

3. भावी शोध हेतु न्यादर्श के रूप में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों की छात्र–छात्राओं का समावेश किया जा सकता है।

4. ग्रामीण व शहरी माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. भावी शोध में मानवाधिकार के अलावा मौलिक अधिकारों को भी स्थान दिया जा सकता है।

इस अध्ययन में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की और बल दिया गया है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान को दिये गये मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान उनकी अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इन अध्यायों के आधार पर शोधकर्त्री को चयनित समस्या के चरों के निर्धारण में सहायता मिली। साथ ही सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि हेतु आधार प्राप्त हुआ है।

उपसहांर–

प्रस्तुत लघु–शोध के अध्याय में सम्पूर्ण शोध कार्य का निष्कर्ष बताया गया है कि हमारी समस्या क्या है, इसके उद्धेश्य, परिकल्पनाओं की सार्थकता, अध्ययन विधि उपकरण व सांख्यिकी आदि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

भविष्य में होने वाले शोधकार्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किये गये है व इस शोध की शैक्षिक उपयोगिता को दर्शाया गया है।